पेसा अधिनियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन

- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996। (पेसा) एक केन्द्रीय विधान है जो संविधान के भाग IX में दिए गए पंचायतों के उपबंधों को कतिपय संशोधनों और छूटों के साथ पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित है।

- यह अधिनियम 24 दिसंबर, 1996 को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना जैसे देश के 10 प्रमुख जनजातीय आबादी वाले राज्यों में लागू हुआ।

- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय विकास को मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसूची V क्षेत्रों में पंचायतों/ग्राम सभाओं को शासन प्रदान करना है।

- पेसा अधिनियम जनजातीय स्व-शासन, संस्कृति, प्रथागत कानूनों को संरक्षित करने और अनुसूची V क्षेत्रों में उनके पर्यावास पारंपरिक तरीके की रक्षा करने के लिए संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

- यह राज्य सरकार को ग्राम सभाओं और पंचायतों को स्थानीय स्वशासन संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का भी निर्देश देता है।

- भारत सरकार जनजातीय बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं/आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील है। विभिन्न साधनों के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन क्षेत्रों में उपलब्ध संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं।

- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय वित्त आयोगों ने स्थानीय सरकारों को अंतरण के मामले में सभी राज्यों में दृष्टिकोण की एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों में संसाधनों का अंतरण सुनिश्चित किया है। बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय वित्त आयोगों द्वारा किए गए कुछ विशिष्ट हस्तक्षेप निम्नानुसार हैं;

- 10वें वित्त आयोग ने अधिदेशित किया कि अनुदान उन राज्यों को भी वितरित किए जाएंगे जिनके पास समान स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि निकायों के संसाधनों को पूरा करने के लिए पंचायतों की आवश्यकता नहीं है।
- 11वें वित्त आयोग ने यह निर्धारित किया कि बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए उसका अधिनिर्णय संबंधित राज्यों को ऐसे क्षेत्रों में 73वें और 74वें संशोधनों के प्रावधानों के विस्तार के लिए संगत विधायी उपायों के अधिनियमन के बाद ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- 12वें वित्त आयोग-XII ने सामान्य और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए अलग-अलग अनुदानों का उल्लेख नहीं किया और उनके बीच अनुदान वितरित करने का कार्य राज्यों पर छोड़ दिया।

- 13वें वित्त आयोग ने बहिष्कृत क्षेत्रों (अनुसूची V और VI में आने वाले क्षेत्रों) के लिए 1,357 करोड़ रुपये के अनुदान की अनुशंसा की।

- 14वें वित्त आयोग ने उन क्षेत्रों के लिए अनुदानों की अनुशंसा नहीं की जहां भाग IX और IXक लागू नहीं होता है और अन्य क्षेत्रों के समान उनके विकास के लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का निर्णय लेने के लिए सरकार पर छोड़ दिया। परिणामत:, भारत सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए 480 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से विशेष सहायता मंजूर की, जिसकी अनुशंसा आयोग ने सामान्य श्रेणी के राज्यों / क्षेत्रों के लिए की थी। तथापि, आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों के आबंटन का कार्य करते समय अनुसूची V क्षेत्रों को शामिल किया था।

- 15वें वित्त आयोग का मत था कि प्रति व्यक्ति अनुदान जो भारत में प्रत्येक निवासी को देय माना जाता है और स्थानीय सरकारों को अंतरण के मामले में सभी राज्यों में दृष्टिकोण की एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए, अनुशंसा की गई थी कि अनुदान उन क्षेत्रों को भी वितरित किया जाएगा जिनके लिए पंचायतों (पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों और बहिष्कृत क्षेत्रों) की आवश्यकता नहीं है ताकि बुनियादी संबंधित स्थानीय स्तर के निकायों द्वारा सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि की जा सके।

- इसने 90:10 के अनुपात में जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर राज्य के भीतर आने वाले ऐसे क्षेत्रों के लिए अनुदान की अनुशंसा की।

धन्यवाद